




राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 3117 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,

रायपुर दिनांक 27/3/2019

प्रति,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,  
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह  
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला समस्त

**विषय:— स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आबंटित राशि के संबंध में।**

विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी जिलों को राशि राज्य स्तर से आबंटित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों हेतु उन्हीं हितग्राहियों को राशि जारी की जा सकती है, जिनका नाम बेसलाईन सर्वेक्षण 2012-13 में पात्रता की श्रेणी में भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को बेसलाईन 2012-13 में छूटे हुए परिवारों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है। बेसलाईन सर्वेक्षण में छूटे हुए परिवारों हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। यदि भारत सरकार द्वारा बेसलाईन सर्वेक्षण 2012-13 में छूटे हुए परिवारों हेतु पृथक से राशि आबंटित करती है, तो ही आगामी भविष्य में बेसलाईन सर्वेक्षण 2012-13 में छूटे हुए परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है।

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर दिनांक 27/3/2019

पृ. क्र. 3118 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,

प्रतिलिपि :-स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अब नहीं तो कब ?